5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs. 5 — COURT FEE भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES — 5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs. 5

(38)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

R-176-PBR/17

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी

रतनसिंह पिता नाथुसिंह, जाति आंजना,
आयु–42 वर्ष, धंधा–कृषि,
निवासी–ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग, तहसील व जिला उज्जैन म.प्र. ——— आवेदक

----विरुद्ध---

बद्रीलाल पिता रूग्गाजी, जाति बलाई,
आयु–65 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी–ग्राम देवराखेड़ी बुजुर्ग, तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.
———अनावेदक

श्री ... द्वारा ... 11.1.17
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर 11.1.17

11/01/17

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/16–17 में पारित आदेश दिनांक 07/12/16 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश प्राथमिक दृष्टि में ही विधि, विधान एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तु स्थिति को देखे व समझे बगैर एवम् धारा 131 भू–राजस्व संहिता के नियम व प्रावधानों को देखे व पढ़े बगैर उनके विपरीत जाकर धारा 32 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत जो अंतरिम आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

03 यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कोई स्थल निरीक्षण किया गया हैं एवम् ना ही माननीय राजस्व मंडल के आदेश के पालन में स्वयं ने मौके पर जाकर कोइ जॉच की हैं तथा ना ही विधिवत् माननीय राजस्व मंडल के आदेश के पालन में आवेदक को सुना हैं । माननीय राजस्व मंडल द्वारा पूर्व में दिये गये अंतरिम आदेश और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया हैं तथा निर्देश दिये थे कि पुनः उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर दोनो पक्ष

रतनसिंह / व हीरालाल

XXIX(a)-BR(H)-11

(38)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(38)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 176/PBR/17 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी न्याय तहसीलदार उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1/अ-13/16-17 में पारित आदेश दिनांक 7-12-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	